न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 126/2008

सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।

बनाम

1. साहूकारिया पुत्र देवा, जाति–कांजर, निवासी–गोपीनाथपुरा उर्फ कुतकपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर (मृतक)।
   1/1 कान्ति पुत्री साहूकारिया, जाति–कांजर, निवासी–ग्राम अकबरपुर, तहसील–अलवर, जिला–अलवर (राजस्थान)।

अप्रार्थी

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थी सं0 1/1 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 13.12.2017

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम गोपीनाथपुरा उर्फ कुतकपुरा की आराजी खसरा नम्बर 159 रकबा 31 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज हैं जिसके एकीकरण के फलस्वरूप जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2021 में खसरा नम्बर 60 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा साहूकार पुत्र देवा, जाति–कांजर साकिन देह अलाटी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला (बारानी सोयम) दर्ज है, इस आराजी के हाल आराजी खसरा नम्बर 423 रकबा 0.12 हे0, 424 रकबा 0.05 हे0, 425 रकबा 0.17 हे0, 426 रकबा 0.03 हे0 व 429 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 5 रकबा 0.63 हे0 आवंटन के फलस्वरूप साहूकारिया पुत्र देवा, जाति–कांजर के नाम दर्ज की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 साहूकरिया जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में बतौर खातेदार नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन नला दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी की फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वारिसान को तलब किया गया। आंवटी/खातेदार के जायज वारिसान बावजूद तामील अनुपस्थित रहे अतः अनुपस्थिति की दशा में इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान् राजकीय अधिवक्ता श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम गोपीनाथपुरा उर्फ कुतकपुरा की आराजी खसरा नम्बर 159 रकबा 31 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज हैं जिसके एकीकरण के फलस्वरूप जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2021 में खसरा नम्बर 60 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा साहूकार पुत्र देवा, जाति–कांजर साकिन देह अलाटी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला (बारानी सोयम) दर्ज है, इस आराजी के हाल आराजी खसरा नम्बर 423 रकबा 0.12 हे0, 424 रकबा 0.05 हे0, 425 रकबा 0.17 हे0, 428 रकबा 0.03 हे0 व 429 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 5 रकबा 0.63 हे0 आवंटन के फलस्वरूप साहूकारिया पुत्र देवा, जाति–कांजर के नाम दर्ज की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 साहूकरिया जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में बतौर खातेदार नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन नला आराजी की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन नला की नियमों के विपरीत खातेदारी दर्ज की गई है जिसके फलस्वरूप वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है । विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज है। एकीकरण में भी गैर–मुमकिन नला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन/नियमन/हक खातेदारी हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होगें। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन नला भूमि की निजी खातेदारी दर्ज की गई है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शुन्य है। ऐसी स्थिति में

राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 ग्राम गोपीनाथपुरा उर्फ कुतकपुरा की आराजी खसरा नम्बर 159 रकबा 31 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज हैं जिसके एकीकरण के फलस्वरूप जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2021 में खसरा नम्बर 60 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा साहूकार पुत्र देवा, जाति–कांजर साकिन देह अलाटी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला (बारानी सोयम) दर्ज है, इस आराजी के हाल आराजी खसरा नम्बर 423 रकबा 0.12 हे0, 424 रकबा 0.05 हे0, 425 रकबा 0.17 हे0, 428 रकबा 0.03 हे0 व 429 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 5 रकबा 0.63 हे0 आवंटन के फलस्वरूप साहूकारिया पुत्र देवा, जाति–कांजर के नाम दर्ज की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 साहूकरिया जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में बतौर खातेदार नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज सिवयचक बिला लगानी गैर–मुमकिन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने विवादग्रस्त आराजी को राजस्व अभिलेख में सिवाचक बिला लगानी गैर–मुमकिन नला दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2004–2023 से होती है और इस आराजी के खातेदारी के फलस्वरूप वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 साहूकारिया के नाम दर्ज है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी 2060–2063 से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक गैर–मुमकिन नला की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नहीं दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन नला भूमि की खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित

निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन नला भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, चाकसू द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निणय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी को निजी व्यक्ति के नाम निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारों को दिनांक 07.02.2018 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सर इजलास आज दिनांक 13.12.2017 को सुनाया गया।

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर